मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/399/116 भोपाल, दिनांक 24/09/2012

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
सतपुडा भवन, म0प्र0 भोपाल

विषय:- निविदा द्वारा विक्रय होने वाले औद्योगिक बांस हेतु निविदा में प्राप्त दर की स्वीकृति के संबंध में ।

---0---

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 399 वीं बैठक दिनांक 28-08-20012 में (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-05 A) के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष उत्पादित होने वाले औद्योगिक बांस के निर्वर्तन हेतु निविदा मुख्यालय द्वारा आमंत्रित की जावेगी । इन निविदाओं में प्राप्त उच्चतम दरों की स्वीकृति के संपूर्ण अधिकार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक उत्पादन को दिये जाते है, साथ ही जिन लाटों के लिये निविदा प्राप्त नहीं हुई अथवा अवरोध मूल्य से कम दर प्राप्त हुई है, ऐसे शेष बचे औद्योगिक बांसों के लाटों को नीलाम द्वारा निर्वर्तन किया जावे, वन मंडल के भारसाधक अधिकारी वनमण्डल अधिकारी अथवा वन संरक्षक तथा वृत्त के भारसाधक अधिकारी मुख्य वन संरक्षक को जो अधिकार काष्ठ विक्रय के लिये प्राप्त है वही अधिकार औद्योगिक बांस के नीलाम के मामले में प्रदान किये जाते है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(बी.बी. सिंह)
पदेन सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/समिति/399/ भोपाल, दिनांक 24/09/2012

प्रतिलिपि:-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।

2. महालेखाकार (क्रमांक एक) म0प्र0 ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 28-08-2012 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कर्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

पदेन सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग